भारत सरकार
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171 003

सत्यमेव जयते

Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh, Shimla 171 003

परिपत्र

विषय:- हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के संयुक्त आयोजन के लिए 'प्रतीक चिह्न (Logo)' के संबंध में।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या फा.सं.-12016/02/2024-रा.भा.(का-2) दिनांक 05.07.2024 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ लेते हुए उपरोक्त विषय के संबंध में इस महत्वपूर्ण सम्मलेन के लिए **'प्रतीक चिह्न (Logo)'** डिजाइन करने की प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक कार्मिको से योजना के लिए निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के अनुसार 'लोगो' दिनांक 24.07.2024 तक आमंत्रित किए जाते है।

प्रतियोगिता के लिए चयनित पांच सर्वश्रेष्ठ लोगो **(Logo)** को राजभाषा विभाग की ओर से प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे तथा प्रथम तीन को पुरस्कार दिए जा सकते हैं।

Regarding Office Memorandum No. फा.सं.-12016/02/2024-रा.भा.(का-2) दिनांक dated 05.07.2024 (copy attached) issued by the 'Department of Official Language' under the Ministry of Home Affairs, Government of India on the above subject, the personnel desirous of participating in the competition for designing 'Logo' for this important conference are invited by 24.07.2024 as per the terms and conditions specified for the scheme.

The five best 'Logo' selected for the competition will be given certificates by the 'Department of Official Language' and prizes may be given to the first three.

प्राधिकार: वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन) आदेश दिनांक 19.07.2024

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी)
दिनांक 19.07.2024
Signed by Anuradha Sood
Date: 19-07-2024 09:51:58

पत्र संख्या: हि.क./ले.प./हिंदी पखवाड़ा/2024-25/

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
2. निजी सहायक, वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)
3. निजी सहायक, वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एम.जी.-I)
4. निजी सहायक, वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एम.जी.-II)
5. निजी सहायक, वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एम.जी.-III)
6. कल्याण अधिकारी
7. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी अधिकारिक पर
8. गार्ड फाइल

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी)

फा.सं.-12016/02/2024-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001,

दिनांक:5.07.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय- हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के संयुक्त आयोजन के लिए प्रतीक चिह्न (Logo) निर्माण के संबंध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार 14 व 15 सितम्बर 2024 को नई दिल्ली स्थित "भारत मंडपम" में दो दिवसीय हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी करेंगे। इस सम्मेलन में मुख्य सत्र के अलावा हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों पर कई समानांतर शैक्षिक सत्र आयोजित किए जाएंगे।

2. इस महत्वपूर्ण सम्मेलन हेतु तत्काल एक 'प्रतीक चिह्न (Logo)' डिजाइन किया जाना है जिसके लिए अल्प समय में एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है जिसमें आपकी भागीदारी अपेक्षित है। इस 'लोगो'(Logo) के निर्माण में राजभाषा, हिंदी दिवस, आजादी के अमृत काल की महत्ता, सम्मेलन का स्थल दिल्ली एवं आयोजन स्थल भारत मंडपम की पृष्ठभूमि आदि को रखा जाना समीचीन होगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंक/स्वायत संगठन/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने-अपने संगठनों से इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से **प्रतीक चिह्न (Logo) का नमूना (JPG/PDF)तैयार करवा कर** दिनांक 26.07.2024, सांय 05 बजे तक विभाग के अनुसंधान अधिकारी की ईमेल आईडी -**santosh.gupta89@nic.in** पर भिजवाना सुनिश्चित करें। **हस्तनिर्मित चिह्न (Logo) अस्वीकार्य होगा।**

4. चयन समिति द्वारा चुने गए सर्वश्रेष्ठ **लोगो(Logo)** का प्रयोग दिनांक 14-15 सितम्बर 2024 को आयाजित होने वाले राजभाषा सम्मेलन में किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रथम 3 'प्रतीक चिह्न (Logo)'को राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कार दिए जा सकते है। साथ ही प्रतियोगिता के पांच सर्वश्रेष्ठ **लोगो(Logo)** प्रतिभागियों को राजभाषा विभाग की ओर से प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।

(अनिल कुमार)
उप सचिव (का.)

प्रतिः-

1. सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंक/स्वायत संगठन/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख।
2. सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के कार्यालय प्रमुख।
3. सभी नराकासों के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव।